संख्या-16/2017/क0नि0-4-1276/11-2016-300(08)/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनु0-4 **लखनऊ: दिनाँक 22 नवम्बर, 2017**

विषयः-जी0एस0टी0एन0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नेटवर्क सिक्योरिटी हेतु यू0टी0एम0 डिवाइस तथा साफ्टवेयर के क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-आई0टी अनुभाग-नेटवर्क सिक्यारिटी (2017-2018)/ 1143/ दिनांक-10 अक्टूबर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जी.एस.टी.एन. द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नेटवर्क सिक्योरिटी हेतु यू0टी0एम0 डिवाइस तथा साफ्टवेयर के क्रय हेतु कुल धनराशि समस्त करों सहित रूपया 76,60,338/- (रूपया छिहत्तर लाख साठ हजार तीन सौ अड़तीस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

2- उक्त व्यय, वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 800-अन्य व्यय, 09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय-46-हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-16/2017/क0नि0-4-1276(1)/11-2017 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहबाद।
2-निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4-वित्त नियंत्रक/ एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

आज्ञा से

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in